निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 818) पटना, बुधवार, 15 जुलाई 2015

सं0 एल/एच०जी०–303/2002–7381

गृह (विशेष) विभाग

————————

संकल्प

3 जुलाई 2015

विषयः–**गृह रक्षकों के कर्त्तव्य भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि के संबंध में।**

बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी गृह रक्षकों के कर्त्तव्य पर तैनात रहने की अवधि में गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०–6500 दिनांक 13.10.2004 के तहत गृह रक्षकों का सेवा प्रदान करने की आयु 58 वर्ष निर्धारित है एवं आदेश ज्ञापांक–5007 दिनांक 07.06.2013 के तहत कर्त्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता रू0 300 (तीन सौ रूपए), आदेश ज्ञापांक–1223 दिनांक 18.12.1999 द्वारा यात्रा भत्ता (विशेष कर्तव्य पर योगदान के लिए) रू0 20 (बीस रूपये) प्रति गृह रक्षक तथा संकल्प ज्ञापांक–1802 दिनांक 17.02. 2010 द्वारा कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित को रू0 1,00,000 (एक लाख रूपए) निर्धारित करते हुए राज्यादेश निर्गत किया गया है।

2. गृह रक्षकों के दायित्वपूर्ण कठिन कार्य एवं बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर गृह रक्षकों के कर्त्तव्य भत्ता एवं यात्रा भत्ता में वृद्धि के साथ अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन था। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचारोपरांत गृह रक्षकों को दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से निम्नलिखित सुविधाएँ दिए जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(I) गृह रक्षकों का कार्यरत रहने की आयुसीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाती है। 60 वर्ष पूर्ण होने पर उनका नामांकन स्वतः समाप्त हो जाएगा।

(II) वर्तमान में कर्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता रू0 300 (तीन सौ रूपए) प्रत्येक दिवस के लिए भुगतेय भत्ते की राशि में वृद्धि करते हुए रू0 400 (चार सौ रूपये) प्रत्येक दिवस प्रति गृह रक्षक किया जाता है।

(III) विशेष कर्तव्य के लिए यात्रा भत्ता की राशि रू0 20 (बीस रूपये) से बढ़ाकर रू0 100 (एक सौ रूपये) प्रति गृह रक्षक किया जाता है।

गृह रक्षकों के कर्तव्य भत्ता एवं यात्रा भत्ता मद में होने वाले व्यय राज्य बजट के ''मुख्यशीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107–होमगार्ड–0001 ग्रामीण–व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें'' के अंतर्गत तथा प्रशिक्षण भत्ता मद में होने वाले व्यय ''मुख्यशीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–003– प्रशिक्षण–0005–गृह रक्षकों को आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण'' के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(IV) कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर गृह रक्षक के आश्रित को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि रू0 1,00,000 (एक लाख रूपए) से बढ़ाकर रू0 4,00,000 (चार लाख रूपए) किया जाता है।

(V) गृह रक्षकों को कुल बीस वर्षों की सेवा, जिसमें 10 वर्षो का सेवा दिवस पूरे होते हों, के पश्चात 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1.5 लाख (डेढ़ लाख) रूपए एकमुश्त अनुदान देय होगा।

उपर्युक्त मद (कंडिका–IV एवं V) में होने वाले व्यय ''मुख्य शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–107–होमगार्ड –0003 बिहार गृह रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम'' के अनुग्रह अनुदान मद से विकलनीय होगा।

(VI) गृह रक्षकों के सभी प्रकार के भत्ते का भुगतान बैंक के माध्यम से RTGS से किया जाय।

(VII) गृह रक्षकों की उपस्थिति एवं कर्तव्य का आवंटन का ब्यौरा राज्य स्तर पर कम्प्यूटरीकृत किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 818-571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in